

पत्रांक : 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2021 (खंड) 31(आठ) /पं०रा०

बिहार सरकार  
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

नजर हुसैन,  
विशेष सचिव

सेवा में,

संयुक्त सचिव-सह-  
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती  
राज विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 20/7/2026

विषय : विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 29(स्वी०) दिनांक 18.07.2026 द्वारा  
षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वित्तीय वर्ष  
2026-27 में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल  
₹2,00,00,00,000.00 (दो सौ करोड़ रुपये) मात्र की राशि का  
आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में  
विभागीय संकल्प संख्या 4881 दिनांक 03.05.2023 के आलोक में विभागीय  
स्वीकृत्यादेशसंख्या 29(स्वी०) दिनांक 18.07.2026 द्वारा षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की  
अनुशंसा के तहत पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल ₹2,00,00,00,000.00  
(दो सौ करोड़ रुपये) मात्र की राशि उक्त स्वीकृत्यादेश के कंडिका-04 के अनुरूप  
स्वीकृति प्रदान की गई है।

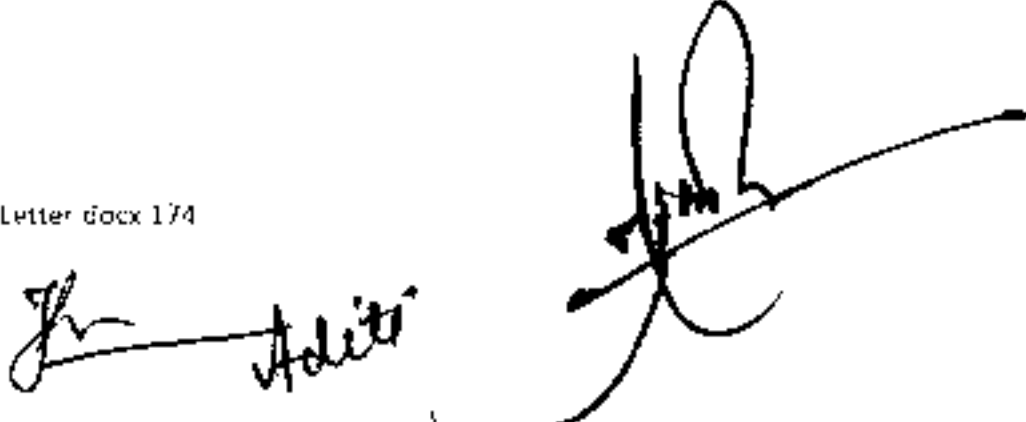
2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की  
अनुशंसा के तहत पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु कुल ₹2,00,00,00,000.00  
(दो सौ करोड़ रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में मांग संख्या 16  
के स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से निम्नरूपेण बजट शीर्षों से की जायेगी :-

राशि रुपये में

| मद                              | बजट शीर्ष                                                                                                                                                                                                                         | विषय शीर्ष                                                | स्वीकृत राशि  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| ग्राम<br>पंचायत                 | "मुख्य शीर्ष 2515-अन्य ग्राम विकास<br>कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु<br>शीर्ष-198-ग्राम पंचायतों को<br>सहायता उपशीर्ष-0009-राज्य वित्त<br>आयोग की अनुशंसा के आलोक में<br>ग्राम पंचायतों को अंशदान"<br>विपत्र कोड-16-2515001980009 | "0009.31.05-सहायक<br>अनुदान-परिसम्पत्तियों के<br>निर्माण" | 2000000000.00 |
| कुल : (दो सौ करोड़ रुपये) मात्र |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           | 2000000000.00 |

4. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय विभागीय संकल्प संख्या 4881 दिनांक 03.05.2023 में निहित अनुदेशों के आलोक में करेंगे।
5. इस आवंटित राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संयुक्त सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग होंगे, जो राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से CFMS के माध्यम से करते हुए बिहार स्थानीय क्षेत्र अभिकरण (ब्लाडा) के P/L Account No-PTSPLA011 में अंतरित करावेंगे।
6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी।
7. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998 एवं पत्रांक 236 दिनांक 09.03.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
8. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
9. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।
10. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से बिहार कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में की जायेगी। कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
11. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।
12. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2021 (खंड) के पृष्ठ संख्या .....68...../टि० पर दिनांक .....18/07/2026..... को प्राप्त है।
13. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

  
Aditi



14. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन

(नजर हुसैन)

विशेष सचिव

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2021 (खंड) 31(आठ) पं०रा० पटना, दिनांक 20/7/26  
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 06 एवं 07(उपयोगिता प्रमाण पत्र कोषांग), लेखापाल, रोकड़पाल, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2021 (खंड) 31(आठ) पं०रा० पटना, दिनांक 20/7/26  
प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांक: 5प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-05/2021 (खंड) 31(आठ) पं०रा० पटना, दिनांक 20/7/26  
प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

Aditi